प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष 2023
2. प्र.इ.रि.सं.....196/2023..... दिनांक ...19/7/2023.....
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा 7.....
   (II) * अधिनियम .....धारा – .....
   (III) * अधिनियम..... धाराएं.....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....909.....समय 12:15 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– शुक्रवार **दिनांक 30.5.2023** .....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – .....26.5.2023 वक्त .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **उत्तर पश्चिम 150 किमी**
   (ब) पता – **परिवादी की ढाणी 1 PSD "A" रावला जिला श्रीगंगानगर**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – श्री महावीर प्रसाद
   (ब) पिता / पति का नाम – श्री सोहन लाल
   (स) जन्म तिथि / आयु – 52 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....
   (र) पेशा – खेती व मजदूरी
   (ल) पता – 1 PSD "A" रावला जिला श्रीगंगानगर
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री भैरूदान पुत्र श्री मदनलाल पटवारी, पटवार हल्का 5 पी.एस.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल पटवारी पटवार कार्यालय तहसीलदार रावला जिला श्रीगंगानगर
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 26.05.2023 को श्री महावीर प्रसाद शर्मा अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ने श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर एक प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर व अपने पास बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 1 PSD "A" रावला जिला श्रीगंगानगर होना बताया। जिस पर श्री गूरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक ने परिवादी मय उक्त प्रार्थना पत्र साथ लेकर अपने कक्ष में आये तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "प्रार्थी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सोहन लाल जाति विश्नोई निवासी 1 PSD "A" का रहने वाला हूं। चक 1 PSD "A" में मुरबा नम्बर 190/54 में खांचा भूमि 11 बिस्वा का आवंटन हमारे पिता श्री सोहन लाल के नाम से 1972–73 में हुआ था। इस भूमि को हमारी जमाबंदी में ज्यादा भूमि दर्जकर दिया गया था मगर पट्टा में भूमि कम दर्ज थी। इस कारण हमने रिकॉर्ड में दुरूस्थीकरण करवाने के लिए इस भूमि को खारिज करवाकर स्माल पेच में पुनः दर्ज करवाने बाबत राजस्व विभाग में बार बार प्रार्थना पत्र पेश किये मगर हमारे नाम से इस भूमि का पुनः आवंटन नही हुआ। दिनाक 04.01.2022 को प्रशासन गाव के संग कैम्प 5 पीएसडी में मैने व मेरे भाई मदन लाल ने इसी भूमि को आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार व एसडीएम साहब को पेश किया। जिन्होने पटवारी श्री सतीश कुमार को रिपोर्ट करने हेतु दिया। पटवारी श्री सतीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर कानूनगों श्री विजेन्द्र कुमार

पास भिजवा दी मगर कानूनगों विजेन्द्र कुमार ने हमारी फाईल को तहसीलदार के पास नही भेजा और अपने पास ही रोक लिया। उसके बाद वर्तमान पटवारी श्री भेरूदान को हमारी फाईल पर पुनः रिपोर्ट करने के लिए दे रखा है। श्री भैरूदान पटवारी हमारी फाईल में रिपोर्ट करने के बदले रिश्वत के तौर पर खर्चा पानी की मांग कर रहा है और कह रहा है कि खर्चा पानी तहसील में भी देना पड़ेगा अब हमें श्री भैरूदान पटवारी समाचार भिजवा रहा है कि 50000 रू लुंगा। मैं पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। रिश्वत लेने वाले पटवारी श्री भैरूदान को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं।" प्रार्थना पत्र पर श्री महावीर प्रसाद शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन किया हुआ है कि आज दिनांक 26.05.2023 को वक्त 11.30 एएम पर श्री महावीर प्रसाद पुत्र स्व.सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 PSD "A" श्रीगंगानगर ने यह टाईप शुदा (कम्प्यूटर द्वारा) प्रार्थना पत्र कार्यालय में पेश किया। पुलिस निरीक्षक ने परिवादी का प्रार्थना पत्र पुनः महावीर प्रसाद को पढकर सुनाया तो परिवादी ने परिवाद सही होना माना व मजिद पुछताछ पर बताया कि पटवारी श्री भैरूदान से मेरा पहले का कोई उधारी या लेन देन नहीं है तथा पुरानी कोई रंजिश नहीं है। मै रिश्वत मांग का सत्यापन साथ चल कर करवा दूंगा। प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु सी.आई. श्री गुरमेल सिंह को सुपुर्द किया। परिवादी श्री महावीर प्रसाद से प्रार्थना पत्र लिखवाने के संबंध में पूछताछ की तो बताया की मैं मेरे परिचित व विश्वासी व्यक्ति से लिखवाकर लाया हूं। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि बाबत जमाबंदी की नकल की फोटो प्रतियां व पुराने प्रार्थना पत्र की फोटो प्रतियां तथा उप जिला कलक्टर घड़साना का आदेश कमांक 193 दिनांक 07.06.2005 की फोटो प्रतियां पेश की जिनका श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक ने अवलोकन कर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से संदिग्ध पटवारी/कर्मचारी बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री भैरूदान एक सरकारी आवास के कमरे में कार्यालय बनाकर कार्य करता है जो अब श्रीगंगानगर गया हुआ है। जिस पर श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक ने श्री भगवानदास कानिस्टेबल नम्बर 134 को बुलाकर श्री महावीर प्रसाद विश्नोई से भगवानदास कानि का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वाईस रिकार्डर व नया मैमोरी कार्ड (खाली) निकालकर श्री भगवानदास कानि व परिवादी श्री महावीर प्रसाद को डिजिटल वाईस रिकार्ड संचालन की विधि समझाईस की गई। परिवादी ने श्री गुरमेलसिह पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारीजी सोमवार दिनांक 29.05.2023 तक वापिस रावला डयूटी पर आयेगा तब में रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व श्री भगवानदास कानि को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु नियुक्त किया जाकर हिदायत हुई की एक दुसरे के मोबाईल नम्बर लेकर लगातार सम्पर्क बनाये रखे व समय समय पर मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करे। बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया।

दिनांक 28.05.2023 वक्त 11.40 ए.एम. पर श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक मय श्री मुकेश कुमार व.लि. व श्री भगवानदास कानि के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मौखिक आदेशानुसार सम्पर्क सूत्र संकलन करने व परिवादी श्री महावीर प्रसाद से सम्पर्क करने हेतु लैपटॉप सरकारी मय डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड हमराह लेकर जिला श्रीगंगानगर की तरफ रवाना होकर दिगर कार्य करते हुए दिनांक 28.05.2023 को रावला पहुचे। श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महावीर प्रसाद से जरिये टेलिफोन सम्पर्क कर रावला में सुरक्षित स्थान पर बुलाकर पूछा तो परिवादी ने बताया कि पटवारी जी अभी अपने कार्यालय में आये नहीं है वो अभी श्रीगंगानगर है, कल सुबह जल्दी आ सकते है। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई व परिवादी को बताया की कल सुबह श्री भगवानदास कानि मय डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड के आपके पास रावला आकर आपसे सम्पर्क करेगे। आप संदिग्ध से वार्ता कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवावे। तत्पश्चात श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ के वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा बीकानेर बीकानेर पहंचे। पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 30.05.2023 वक्त 08.00 एएम पर श्री गुरमेल सिंह पुलिसं निरीक्षक ने श्री भगवानदास कानि को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री महावीर प्रसाद से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की आवश्यक हिदायत कर रावला के लिए रवाना किया। वक्त 01.40 पीएम पर श्री भगवानदास कानि ने जरिये दूरभाष श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर रावला पहुच परिवादी श्री महावीर प्रसाद से सम्पर्क किया। हम दोनो पटवारी के कार्यालय के

पास पहुचे, किन्तु पटवारी के पास भीड ज्यादा होने के कारण हम दोनो ने पटवारी के कार्यालय के आस पास ही उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे। कुछ समय बाद पटवारी के पास भीड हटने के बाद मैने डिजिटल वाईस रिकॉडर चालु कर परिवादी श्री महावीर प्रसाद को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर पटवारी के कार्यालय की तरफ रवाना किया। मैं पटवारी के कार्यालय के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पटवारी के कार्यालय से बाहर आकर मेरे पास आया। मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी से लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि पटवारी ने कहा कि कल सुबह आपके खेत पर आकर मौका देखकर बात करूंगा। जिस पर श्री भगवानदास कानि को श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक ने हिदायत हुई की कल पुनः परिवादी श्री महावीर प्रसाद से समय पर सम्पर्क कर पुन रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवावे। श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक ने अब तक के हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये तथा श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक के जरूरी कार्य से अवकाश पर जाने के कारण श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार प्रकरण से संबंधित कागजात श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक पिंकी गंगवाल को सुपुर्द किये गये व अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करवाया। मन पुलिस निरीक्षक पिंकी गंगवाल द्वारा श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा मुझे सुपुर्द किये गये कागजातो का अवलोकन किया गया। श्री भगवान दास कानि नम्बर 134 को दिनांक 31.05.2023 को परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन करने के निर्देश पूर्व में श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक द्वारा दिये हुए है। श्री भगवानदास कानि के आईन्दा उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 31.05.2023 वक्त 12.00 पीएम पर श्री भगवानदास कानि ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी श्री महावीर प्रसाद के मकान पर आज दिनांक 31.05.2023 को श्री भैरूदान पटवारी आया था। जिससे परिवादी द्वारा अपने कार्य के संबंध में बातचीत की गई तो श्री भैरूदान द्वारा परिवादी की दोनो फाईलों में रिपोर्ट करने की एवज में 10000 रू रिश्वत की मांग की है। वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। श्री भगवानदास कानि को हिदायत की गई परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। श्री जमील अहमद कानि को अधीक्षण अभियंता,सा.नि.वि. वृत बीकानेर के नाम की तहरीर देकर दो गवाह तलब करने पर गवाह श्री रमेश कुमार प्रजापत व श्री आशाराम खत्री वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला खण्ड द्वितीय सा.नि.वि. बीकानेर कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहो का परिचय पूछने पर अपना नाम पता श्री रमेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री अमरचन्द प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 59 साल निवासी कुम्हारो का मौहल्ला गणेश टेंट हाउस के पीछे गली नम्बर 02 गंगाशहर बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक जिला खण्ड द्वितीय सा.नि.वि बीकानेर व श्री आशाराम खत्री पुत्र श्री ठाकरराम खत्री उम्र 59 साल निवासी 6/268 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक जिला खण्ड द्वितीय सा.नि.वि बीकानेर होना बताया। परिचय उपरांत बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए कल दिनांक 01.06.2023 वक्त 04.15 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किये।

वक्त 03.30 पीएम पर श्री भगवानदास कानि. 134 मय परिवादी श्री महावीर प्रसाद के मन पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित आये। श्री भगवानदास कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 30.05.2023 को मै ब्यूरो कार्यालय से मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के निर्देशानुसार रवाना होकर रावला पहुच परिवादी से सम्पर्क किया। हम दोनो पटवारी के कार्यालय के पास पहुचे, किन्तु पटवारी के पास भीड ज्यादा होने के कारण हम दोनो ने पटवारी के कार्यालय के आस पास ही उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहे। कुछ समय बाद पटवारी के पास भीड हटने के बाद मैने डिजिटल वाईस रिकॉडर चालु कर परिवादी श्री महावीर प्रसाद को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर पटवारी के कार्यालय की तरफ रवाना किया। मैं पटवारी के कार्यालय के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पटवारी के कार्यालय से बाहर आकर मेरे पास आया। मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी से लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारीजी ने मेरे से कहा है कि कल मैं जल्दी मौका देखने आपके खेत(ढाणी) पर आउंगा तथा परिवादी ने यह भी बताया कि कल पटवारीजी मेरे खेत पर मोका देखने आयेगे तब वो मेरे से रिश्वती राशि की मांग करेगे। मैने जरिये दूरभाष हालात श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक को निवेदन किया। श्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक के

निर्देश दिये की आप वही मुकीम होकर कल दिनांक 31.05.2023 को जल्दी परिवादी से सम्पर्क कर संदिग्ध पटवारी, परिवादी के खेत पर आये तब रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवावे। जिस पर पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार मैने उक्त बात परिवादी को बताई तथा परिवादी को हिदायत कर रवाना किया गया। मैं गोपनीय स्थान पर मुकीम हुआ। दिनांक 31.05.2023 को प्रातः करीब 8:00 बजे मै परिवादी के खेत पर पहुचा । परिवादी द्वारा अपने पुत्र को मोटर साईकिल देकर संदिग्ध पटवारी को लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त करीब 09:00 बजे परिवादी के लडके के साथ मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिस पर मैने डिजिटल वाईस रिकॉडर चालु करके परिवादी को सुपुर्द किया और मै परिवादी की ढाणी में उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। परिवादी के लडके के साथ आया व्यक्ति परिवादी से बातचीत करने लगा। करीब 40–45 मिनट तक परिवादी से बात करने के बाद परिवादी का लडका उसे लेकर चला गया। जिस पर मै परिवादी के पास आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी से लेकर बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि अभी जो व्यक्ति मेरे लडके साथ आया था वो पटवारी श्री भैरूदान जी थे। जिन्होने मेरी दो फाईल में रिपोर्ट करने के बदले 5000–5000 रू कुल 10000 रू रिश्तवी राशि की.मांग की है। मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर में पटवारी श्री भैरूदान से हुई वार्ता को रिकॉर्ड किया। जिस पर हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया गया। तत्पश्चात मैं व परिवादी महावीर प्रसाद वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुचे। परिवादी ने भी श्री भगवानदास कानि के कथनों की ताईद की। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महावीर प्रसाद व श्री भगवानदास कानि के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर से डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना जिसमें दिनांक 30 व 31.05.2023 को परिवादी व आरोपी पटवारी भैरूदान के मध्य हुई वार्ता रिकार्ड हैं। आरोपी पटवारी द्वारा दिनांक 31.05.2023 को परिवादी की दो फाईल में रिपोर्ट करने के बदले 5000–5000 रू कुल 10000 रू रिश्तवी राशि की मांग की मांग की गई है। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया।

वक्त 04.25 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महावीर प्रसाद व श्री भगवानदास कानि 134 के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन सुन कर परिवादी श्री महावीर प्रसाद व आरोपी श्री भैरूदान पटवारी के मध्य दिनांक 30.05.2023 व 31.05.2023 को हुई वार्ता की फर्द ट्रासकिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई। वार्ता में आवाज की पहचान कर एक आवाज परिवादी ने अपनी स्वयं व दूसरी आवाज आरोपी भैरूदान पटवारी पटवार मण्डल 5 पीएसडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर की होना बताया। तत्पश्चात उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ताएं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मे स्थापित मैमोरी कार्ड में सेव है, से दो पेन ड्राईव कार्यालय कम्प्यूटर के जरिये मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा तैयार किये गये। दोनों पेन ड्राईव मे से एक पेन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर में ही अग्रिम कार्यवाही हेतु रहने दिया जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। उक्त कार्यवाही 09.30 पीएम तक सम्पन की गई। कार्यालय के समस्त स्टाफ व दो प्राईवेट वाहनो को पाबंद किया गया।

दिनांक 01.06.2023 वक्त 04.10 एएम पर कार्यालय हाजा का स्टाफ प्राईवेट वाहन इनोवा व इटीओस मय ड्राईवर के उपस्थित आयें। कुछ समय बाद गवाह श्री रमेश कुमार व श्री आशाराम उपस्थित आये। जिस पर पर दोनो को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने बाबत बताया गया तो दोनो ने अपनी सहमती दी। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह का परिवादी श्री महावीर प्रसाद से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही बाबत दोनो गवाहान को बताया गया।

वक्त 04.25 एएम पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी 1 पी.एस.डी. ए जिला श्रीगंगानगर ने मन पुलिस निरीक्षक पिंकी गंगवाल के निर्देश पर रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु 500–500 रूपये के 19 नोट व 100–100 के 5 नोट कुल दस हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी में अंकित किये। कार्यालय के मालखाना से श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि 23 से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त सभी नोटों को रखवाकर श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि से नोटो पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री महावीर प्रसाद की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश कुमार प्रजापत से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक सामान

नहीं पाया गया। उक्त पाउड़र लगे नोट परिवादी के पहनी हुई कुर्ते की सामने की उपरी बांयी जेब में श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री भैरूदान पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, श्री भैरूदान पटवारी रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन–देन के बाद किसी बहाने से ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेर कर ईशारा करे, यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईलनं. 7725922388 पर मिस्ड कॉल/कॉल करके इशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की आपसी रसायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रख दिया गया। श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी श्री बृजमोहन सिंह हैडकानि से वापिस मालखाना में रखवायी गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेपपार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात ब्यूरो के कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को वक्त लेन–देन वार्ता रिकार्ड हेतु सुपूर्द किया गया। फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान कर अपने अपने हस्ताक्षर किए।

वक्त 05.25 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री महावीर प्रसाद, स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार प्रजापत, श्री आशाराम खत्री, ब्यूरो स्टाफ श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक नम्बर 71, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482, श्री कृष्ण मोहन कानि 146 श्री जमील अहमद कानि 147, श्री भगवानदास कानि 134 मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन ईनोवा व ईटीओस मय चालक के ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा से रवाना होकर कस्बा रावला से करीब तीन–चार किलोमीटर पहले रूके। परिवादी श्री महावीर प्रसाद ने अपने मोबाईल नम्बर 9672642263 से पटवारी श्री भैरूदान के मोबाईल नम्बर 8302596695 पर कॉल कर सम्पर्क किया तो आरोपी पटवारी ने बताया कि मैं अभी आपको कॉल करके बताता हूं। जिस पर वहां से रवाना होकर रावला में गोपनीय स्थान् पर मुकीम हुए। वक्त 07.54 एएम पर आरोपी श्री भैरूदान पटवारी ने मोबाईल नम्बर 8302596695 से परिवादी श्री महावीर प्रसाद के मोबाईल नम्बर 9672642263 पर कॉल कर अपने रावला स्थित कार्यालय पर बुलाया। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात श्री भगवानदास कानि को हिदायत की गई की परिवादी श्री महावीर प्रसाद को आरोपी के कार्यालय की तरफ रवाना करने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु करके परिवादी को देवे। परिवादी व श्री भगवानदास कानि को आरोपी पटवारी के कार्यालय की तरफ रवाना किया। शेष ब्यूरो स्टाफ उनके पीछे पीछे पैदल व गाडी से रवाना हुए। परिवादी आरोपी के कार्यालय की तरफ चला गया। ट्रेप पार्टी सदस्य अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आस पास परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए।

वक्त 08.16 एएम पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद बिना ईशारा किये वापिस आया। जिससे डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास लिया। परिवादी ने बताया कि मैं पटवारी के कार्यालय के पास पहुचा तो पटवारी श्री भैरूदान अपने कार्यालय के पास खडी अपनी गाडी में बैठा था जिसने ईशारा कर मुझे अपने पास बुलाया। मैं पटवारी जी के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि मै कैम्प में जा रहा हूं, पैसो के लिए कहा तो कहा कि मेरे फोन आ रहा है, शाम को बताता हूं वगैरा कहते हुए गाडी से रवाना हो गया और मेरे से रिश्वती राशि नहीं ली। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक व समस्त ट्रेप दल सदस्य व परिवादी को साथ लेकर रावला कस्बा से घडसाना रोड पर पहुची। परिवादी ने बताया अब पटवारी जी से शाम को ही सम्पर्क करना तथा मेरा घर भी पास है इसलिए मै घर जाना चाहता हू, पटवारी जी के

सम्पर्क करने पर मैं आपसे सम्पर्क कर लुगा। जिस पर गवाह श्री आशाराम खत्री से परिवादी की जेब से रिश्वती राशि निकलवाकर एक अखबार में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई की जब भी आरोपी पटवारी आपसे सम्पर्क कर तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करावे। बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया गया। मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान सहित गोपनीय स्थान पर मुकीम हुए। वक्त 10.54 एएम पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद ने जरिये दूरभाष बताया कि अभी थोडी देर पहले मेरे फोन पर पटवारीजी श्री भैरूदान ने अन्य नम्बर से फोन कर कहा कि आपका काम मैने करके कागज तहसील में दे दिये है, पिसा पासा मै लुगा नही, मैने वैसे ही आपसे मजाक की थी, कहे कर फोन काट दिया, जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई की आरोपी पटवारी जैसे ही आपसे सम्पर्क करे तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करे। वक्त 01.10 पीएम पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद ने जरिये दूरभाष बताया कि अभी थोडी देर पहले मेरे पास मेरे गांव का ही एक आदमी आया और उसने मेरे से कहा कि आपने पटवारीजी की शिकायत की है क्या, इसलिए मुझे अब लग रहा है कि पटवारीजी को मेरे उपर शक हो गया है इसलिए वह आज मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगे। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई की आरोपी पटवारी जैसे ही आपसे सम्पर्क करे तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करे। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया तथा मन पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार प्रजापत, श्री आशाराम खत्री, ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहनो मय चालक के रावला से बीकानेर के लिए रवाना होकर ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुची। ट्रेप बॉक्स मय रिश्वती राशि 10000 रू सुरक्षित मालखाना में रखवाई तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखा। हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया गया, दो स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया एवं प्राईवेट वाहनों को भी फारिग किया।

दिनांक 07.06.2023 वक्त 11.00 एएम पर परिवादी श्री महावीर प्रसाद कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व बताया कि पटवारी जी श्री भैरूदान को मेरे उपर शक हो गया है इसलिए वह मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगा यह कहते हुए परिवादी ने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में पेश की गई रिश्वती राशि 10000/– रूपये लौटाने का निवेदन किया। जिस पर पाबन्दशुदा गवाहा श्री रमेश कुमार प्रजापत, श्री आशाराम खत्री उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान को बताया कि परिवादी श्री महावीर प्रसाद द्वारा पटवारी को शक हो जाने के कारण रिश्वती राशि नही लेने के कारण 10000 रू रिश्वती राशि लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान अवलोकन करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री महावीर प्रसाद व आरोपी पटवारी श्री भैरूदान के मध्य दिनांक 01.06.2023 को मोबाईल पर हुई वार्ता एवं उसी दिन दोनो के बीच रूबरू हुई वार्ताऐं जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को कार्यालय कम्प्युटर से उपरोक्त दोनों गवाहान, परिवादी श्री महावीर प्रसाद व श्री योगेन्द्रसिंह कानि के समक्ष कनेक्ट कर सुन सुन कर ट्रासंक्रिट तैयार की गई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 01.06.2023 की दो क्लीप को दो नये पेन ड्राईव में कॉपी कर एक पेन ड्राईवर को उसके सेफ्टी कवर में रख कर एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान हेतु खुला रखा। दिनांक 30.05.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य रूबरू हुई वार्ता, दिनांक 31.05.2023 को परिवादी व आरोपी भैरूदान पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 01.06.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता व उसी दिनांक को रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व हुई वार्ता रिकॉर्ड है का मैमोरी कार्ड डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित है को चैक किया जिसमें कुल चार वाईस क्लिपे है को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर उक्त मैमोरी कार्ड को उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्तालाप तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 28 व नष्टीकरण पीतल की सील नम्बर 28 तैयार की जाकर शामिल कागजात की गई तथा परिवादी श्री महावीर प्रसाद को उसके द्वारा पूर्व में पेश की गई राशि 10000 रूपये(500–500 रूपये के 19नोट व 100–100 रूपये के 5 नोट) को मालखाना से निकलवाकर उस पर लगा फिनोपथलीन पाउडर को अच्छी तरह से झटक कर उस पर लगे फिनोपथलीन पाउडर को साफ कर रूबरू गवाहान के परिवादी को रिश्वती राशि

10000 रू लौटाई जाकर रसीद प्राप्त की गई। परिवादी व दोनो गवाहान को फारीग किया गया। प्रकरण से संबंधित प्रादर्श जमा मालखाना करवाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 1 PSD "A" तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर से आरोपी श्री भैरूदान पटवारी, पटवार हल्का 5 पी.एस.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोंग करते हुए परिवादी की दो फाईलों में मौका रिपोर्ट करने की एवज में प्रत्येक फाईल के 5000–5000 रू के हिसाब से 10000 रू रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री भैरूदान पटवारी, पटवार हल्का 5 पी.एस.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल पटवारी पटवार कार्यालय तहसीलदार रावला जिला श्रीगंगानर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है।

अतः आरोपी आरोपी श्री भैरूदान पटवारी, पटवार हल्का 5 पी.एस.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल पटवारी पटवार कार्यालय तहसीलदार रावला जिला श्रीगंगानर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(पिंकी गंगवाल)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो(एसयू)बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी भैरूदान पुत्र श्री मदन लाल, पटवारी, पटवार हल्का 5 पी.एस.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल पटवारी पटवार कार्यालय तहसीलदार रावला, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 196/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2380-83 दिनांक 19.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।